कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रूखाबाद।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

मैनुअल की संख्या	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल का विवरण	सूचना
1	2	3
(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में जिला निर्वाचन कार्यालय, फर्रूखाबाद द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, मतदेय स्थलों के सम्भाजन तथा लोक सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद के सामान्य निर्वाचनों व उप निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य–	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही जिला निर्वाचन कार्यालय, फर्रूखाबाद द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्त्रोंत भी सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत ही जनपद स्तर पर कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(iv)	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्व रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित निर्वाचन विधि निर्देशिका, निर्वाचनों के संचालन हेतु निर्देशों का सार–संग्रह, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों हेतु हैण्डबुक्स आदि एवं समय–समय पर प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी समस्त कार्यो को समयबद्व तरीके से निस्तारित किया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका, निर्वाचनों के संचालन हेतु निर्देशों का सार–संग्रह, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों हेतु हैण्डबुक्स आदि एवं समय–समय पर प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों आदि, का विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.nic.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।

<table>
<tr><td>(vii)</td><td>किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं</td><td>भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली समस्त प्रकार की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियाँ, मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता हैं और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–</td><td>– शून्य –</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका</td><td>जिला निर्वाचन कार्यालय, फर्रूखाबाद में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम का विवरण निम्नानुसार है :–
1–श्री, गिरजा शंकर ओझा,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रूखाबाद।
2– श्री प्रभाकर श्रीवास्वत, वरिष्ठ सहायक
3– श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा, वरिष्ठ सहायक
4– श्री अनूप लाल श्रीवास्वत, कनिष्ठ सहायक
5– श्री निर्मल कान्त सक्सेना, कनिष्ठ सहायक</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो</td><td>जिला निर्वाचन कार्यालय, फर्रूखाबाद में कार्यरत नियमित अधिकारी/ कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक/ वेतन का विवरण निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पद</th><th>Pay Matrix Level</th><th>Basic Pay</th></tr>
<tr><td>1– श्री, गिरजा शंकर ओझा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी</td><td>Level-6</td><td>49000.00</td></tr>
<tr><td>2–श्री प्रभाकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक</td><td>Level-6</td><td>42300.00</td></tr>
<tr><td>3– श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा, वरिष्ठ सहायक</td><td>Level-6</td><td>41100.00</td></tr>
<tr><td>4– श्री अनूप लाल श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक</td><td>Level-3</td><td>27600.00</td></tr>
<tr><td>5– श्री निर्मल कान्त सक्सेना, कनिष्ठ सहायक</td><td>Level-3</td><td>23800.00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, छपाई, मतदाता फोटो पहचान–पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले सामान्य निर्वाचनों/ उप निर्वाचनों से सम्बन्धित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं –	इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं की विशिष्टियां–	– शून्य –
(xiv)	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की वेबसाईट ***www.eci.nic.in*** तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाईट ***www.ceouttarpardesh.nic.in*** पर ईलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचनायें उपलब्ध हैं।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, फर्रूखाबाद (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम–**श्री गिरजा शंकर ओझा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रूखाबाद।** कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क जनसमान्य द्वारा किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जायें।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथासमय जनपद स्तर पर अपडेट किया जाता है।

उप–जिला निर्वाचन अधिकारी,
फर्रूखाबाद।